न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54/2020, जिला दौसा

1. मुकेश पुत्र जगदीश
2. हजारी पुत्र भूरया
3. गंगाधर पुत्र भूरया
4. कौशल्या पत्नि विश्राम
5. कमला पत्नि रामकरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. ग्राम पंचायत चौबडीवाला तहसील बसवा जिला दौसा जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव)

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 21.12.2020 जिसके तहत वाके ग्राम चौबडीवाला जिला दौसा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 735/138 रकबा 23.33 है0 में से 1.20 है0 भूमि नवसृजित ग्राम पंचयत चौबडीवाला तहसील बसवा के कार्यालय भवन व अन्य राजकीय कार्यालय के भवन निर्माणार्थ आंवटित आंवटित की गयी है।

उपस्थित—

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट नं. 1 की ओर से
3. रेस्पोंडेण्ट नं. 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक —29.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.12.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 24.08.2021 प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा को विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः एफ.4(850)पराविं/पी.सी./न.सृ.प.भ.नि./2020—21/404 दिनांक 11.2.2020 द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माणार्थ भूमि आंवटन करने के निर्देश प्रदान करने पर प्राप्त निर्देशों के अनुसरण एवं ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई की अनापत्ति व उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व तहसीलदार बसवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम चौबडीवाला तहसील बसवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 738/135 रकबा 23.33 है0 में से 1.20 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के नियम—7 तथा राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः 6(25)राज.—6/2014 पार्ट/96 दिनांक 3.11.2020 व एफ. 10(3) राज0—6/2001/95 दिनांक 3.11.2020 एवं सहायक शासन सचिव राजस्व (ग्रुप—3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्र क्रमांकः 1(Mis) राज—3/2020 दिनांक 04.12.2020 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की जाकर तथा उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 में से 1.20 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को नवसृजित ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई के कार्यालय भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई) राजस्थान भू—राजस्व(स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

धर्मशालाओं एव अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों / शर्तो के अन्तर्गत आंवटित करने के आदेश दिये गये हैं।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट मुकेश पुत्र जगदीश वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते हैं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत चौबडीवाला को नई ग्राम पंचायत घोषित किया है। और उक्त ग्राम पंचायत को घोषित करने के बाद उक्त ग्राम पंचायत भवन बनाने एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ वाके ग्राम चौबडीवाला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 738 / 135 रकबा 23.33 है0 में से भूमि आंवटन हेतु रिपोर्ट भेजी गयी। ग्राम चौबडीवाला में सिवायचक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से चरागाह भूमि में से आंवटन की रिपोर्ट भेजी और चरागाह में आंवटन हेतु रिपोर्ट भेजने के बाद क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम चौकडीवाला में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से कोलेश्वर खुर्द में स्थित अपीलान्ट के काफी लंबे समय से कब्जे की भूमि को खाली बताकर और क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम कोलेश्वर खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 का प्रस्ताव भेज दिया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने बिना कोई जॉच किये बिना व ग्राम चौबडीवाला में सिवायचक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से चरागाह का प्रस्ताव लेकर और क्षतिपूर्ति हेतु चौबडीवाला में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी कोलेश्वर खुर्द की भूमि का प्रस्ताव लेकर कानून के विपरीत तरीके से दिनांक 21.12.2020 को खसरा नम्बर 738 / 135 चरागाह ग्राम चौबडीवाला में से 1.20 है0 भूमि ग्राम पंचायत चौबडीवाला के भवन एव अन्य राजकीय भवन हेतु आंवटित कर दी तथा उक्त भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम कोलेश्वर खुर्द मे स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 में से 1.20 है0 भूमि को चरागाह में परिवर्तन करने का आदेश दे दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम कोलेश्वर खुर्द के काबिज व्यक्तियों को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना मौके की जॉच किये बिना तहसीलदार पटवारी गिरदावर के द्वारा मौका स्थिति के विपरीत दी गयी रिपोर्ट को सही मानकर और निर्णय करने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 ग्राम कोलेश्वर खुर्द वैकेंट लैण्ड भूमि नहीं है बल्कि उक्त भूमि पर काफी लम्बे समय से अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि में अपनी झोपडी बना रही है तथा रहवास कर रहा है तथा पशु बाडा आदि बना रखे है तथा काश्त कर रहे हैं। तहसीलदार पटवारी गिरदावर ने झूठी रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी जिसके आधार पर उक्त आदेश पारित किया है। ग्राम पंचायत चौबडीवाला में सिवायचक भूमि खसरा नंबर 208, 222, 223 / 720, 274, 282 उपलब्ध है जो वैकेंट लैण्ड भूमि है जिनका रकबा भी काफी है जब ग्राम चौबडीवाला में सिवायचक भूमि उपलब्ध है तो सिवायचक भूमि को ही आंवटन करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए था किन्तु तहसीलदार जी ने उक्त तथ्यों छिपाकर झूठी रिपोर्ट देकर चरागाह का प्रस्ताव भेज दिया जो कानून गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2021 को पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 12.08.2021 को मिली तब उक्त निर्णय दिनांक 12.08.2021 की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। उपरोक्त कारणवश अपील पेश करने में देरी हुई है जिसको श्रीमान के द्वारा क्षमा करवाया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। जिसकी श्रीमान के समक्ष अपील पेश करना चाहते हैं। जिसकी ,श्रीमान के द्वारा इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2020 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 12.08.2021 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा को विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः एफ.4(850)पराவि/पी.सी./न.सृ.प.भ.नि./2020–21/404 दिनांक 11.2.2020 द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माणार्थ भूमि आंवटन करने के निर्देश प्रदान करने पर प्राप्त निर्देशों के अनुसरण एवं ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई की अनापत्ति व उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व तहसीलदार बसवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम चौबडीवाला तहसील बसवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 738/135 रकबा 23.33 है0 में से 1.20 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः 6(25) राज.–6/2014 पार्ट/96 दिनांक 3.11.2020 व एफ. 10(3) राज0–6/2001/95 दिनांक 3.11.2020 एवं सहायक शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्र क्रमांकः 1(Mis) राज–3/2020 दिनांक 04.12.2020 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की जाकर तथा उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.77 है0 में से 1.20 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को नवसृजित ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई के कार्यालय भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत चौबडीवाला पं0स0 बांदीकुई) राजस्थान भू–राजस्व(स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एव अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आंवटित करने के आदेश दिये गये हैं। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकस स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही. समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/2/23

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर